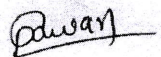
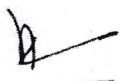


जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स टपेश्वर माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम एल नम्बर 14/2021 (रेफरेन्स नम्बर 20211000047324) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.3757 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 275000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 एवं 637 निकट ग्राम टोडा तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक 21.04.2026 कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा निर्धारित की गई जिसकी अनुपालना में उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2026 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान— राजीव गांधी सेवा केंद्र, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (Minutes) का विवरण—

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/897 दिनांक 05.03.2026 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ-सीकर/एसआईके-पीएच-043/3366-76 दिनांक 05.03.2026 के अनुपालना में मैसर्स टपेश्वर माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम एल नम्बर 14/2021 (रेफरेन्स नम्बर 20211000047324) की खनन परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.3757 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 275000 टन प्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 एवं 637 निकट ग्राम टोडा तहसील – नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान) की अध्यक्षता में खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 21.04.2026 को आयोजित की गई।


Dr. Pawan Kumar
Sr. Scientific Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
(Raj.)

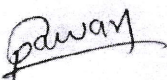

अति. जिला कलेक्टर, नीमकाथाना

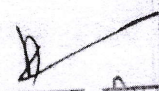
सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र दैनिक उद्योग आस-पास के संस्करण में दिनांक 19.03.2026 एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 19.03.2026 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, सीकर के प्रतिनिधि डॉ. पवन कुमार (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

डॉ. पवन कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर ने जन सुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स कोगनेटिव सस्टेनेबल सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर की तकनीकी सलाहकार श्री आदर्श कुमार के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई तथा ग्रामीण पंचायत से परामर्श कर उचित व्यवस्थाएँ की जायेगी।


Dr. Pawan Kumar
Sr. Scientific Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Sikar (Raj.)


अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना

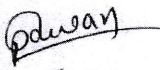
डॉ. पवन कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर एवं श्रीमान् भागीरथ शाख, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। डॉ. पवन कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा गांव वालों को खनन से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते हैं।

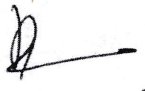
तत्पश्चात् जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को अपने विचार/आपत्ति/सुझाव प्रकट किये गये जो कि निम्नानुसार है :-

1. श्री मोहन कुमार, निवासी टोडा ने बताया कि सीएसआर फण्ड के गांव की रोड़ बनाने तथा गांव के विकास कार्यों के लिए किस प्रकार से उपयोग में लिया जायेगा एवं खनन कार्य प्रारम्भ होने पर जो रास्ते बन्द होंगे उनके लिए नई सड़क/रास्ते की क्या व्यवस्था रहेगी। खनन के दौरान होने वाली ब्लास्टिंग किसी प्रकार की जायेगी एवं लोगों को इसकी जानकारी कैसे दी जायेगी। तत्पश्चात् खनन परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि सीएसआर फण्ड से समय-समय पर गांव के विकास कार्य करवाये जायेंगे एवं खनन कार्य से कोई भी रास्ता बाधित होता तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर खनन कार्य किया जायेगा। खनन कार्य के दौरान खनन क्षेत्र में होने वाली ब्लास्टिंग डीजीएमएस विभाग से अनुमति लेके ही की जायेगी।

इसके पश्चात् श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना ने सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि गांव के रास्ते खनन कार्य से प्रभावित/बन्द हुए हैं तो इसकी लिखित में सूचना अद्योहस्ताक्षकर्ता को दें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

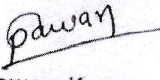
सभी ग्रामवासियों से आग्रह किया कि यदि उन्हें इस परियोजना से किसी प्रकार की कोई सुझाव/आपत्ति हो तो मौखिक व लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। जनसुनवाई के दौरान इस खनन परियोजना से सम्बन्धित लिखित में कोई सुझाव/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

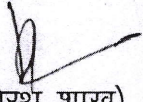

Dr. Pawan Kumar
Sr. Scientific Officer
Rajasthan State Pollution Control Board
Sikar (Raj.)


अति. जिला कलेक्टर, नीमकाथाना

अंत में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना की अनुमति से डॉ. पवन कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर द्वारा उपरिथत ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।
जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


Dr. Pawan Kumar
(Dr. Pawan Kumar)
Rajasthan State Pollution Control Board
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (राज.)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर


(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
नीमकाथाना
(भागीरथ शाख)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीम का थाना (राज.)

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स टपकेश्वर माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम. एल. नम्बर 14/2021 (रेफरेन्स नम्बर 20211000047324), क्षेत्रफल 1.3757 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 275000 टनप्रति वर्ष (रोम) खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 एवं 637 निकट ग्राम टोडा तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में मेसनरी स्टोन की प्रस्तावित खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की दिनांक कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 21.04.2026 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में निर्धारित की गई।

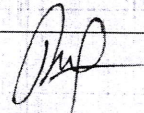
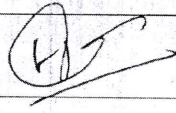
स्थान :- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर ।

दिनांक :- 21.04.2026

समय :- प्रातः 11:30 बजे (मंगलवार)

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1	Dr. Pawan Kumar, SSO, RO, RSAB	Pawan
2	Sahil Kumar - Asst. Manager	Sahil Kumar
3	Adarsh Kumar - Environment Executive	Adarsh
4	SHANKAR LAL JAT	Shankar
5	Vikram Singh	Vikram
6	Gayendra Kumar Chakraborty	Gayendra
7	शिवराम गुर्जर	शिवराम
	दीपक कुमार रोहिण्या -	दीपक
	Yogesh Agarwal	Yogesh
	VIPUL GARG	Vipul

होण कुमर कुंठ	
समीर नाथ	
विनोद कुमार तावर	विनोद
पवन कुमार	
विष्णु मिश्र	विष्णु मिश्र
सीताराम कुमार	
अदना सिंह	अदना
राज	राज
उज्जयिनी	उज्जयिनी
राजू	राजू
निवेश	निवेश
किशन भादव	किशन
बेयमिंदर फुलिया	बेयमिंदर
बाहुन भादव	बाहुन भादव
धनश भादव	
बाहुन पंवार	बाहुन पंवार
उमेश कुमार शर्मा	उमेश कुमार
राजेश	राजेश
जीतु सिंह	जीतु सिंह
विनीत पंवार	विनीत पंवार

दीपचंद्र गुजर	दीपचंद्र
मन्मथ खत्री	
कोटवाल राम	कोटवाल राम
रामरत्नरूप गुजर	रामरत्नरूप गुजर
जगदीश ५३१३	जगदीश
प्रकाश चन्द गुजर	प्रकाश चन्द गुजर
अशोक झा	अशोक लेनी
रामलाल गुजर	रामलाल (अशोक)
श्री लक्ष्मण मीरा	श्री लक्ष्मण मीरा
वैभव चंद कुमहार पूर्व हरपंचरथी	
शंकर लाल महाजन डोडा	शंकर लाल महाजन
बाबू खान डोडा	बाबू खान
राजेंद्र कुमार बवेरवाल डोडा	राजेंद्र कुमार
नरेंद्र दास	Narendra
विक्रम गुजर	विक्रम गुजर
हंनरज डोडा नं,	

NAME CHANGE

I, **RUPESHWARI SONOWAL** is legally Mother of No. 15787732H, Rank HAV, Name LUHIT SONOWAL, R/o Vill. Kalar Gane Post Kadam, Tehsil Boginadi, Dist. North Lakhimpur Assam 787032. I have change my name **RUPA SONOWAL** to **RUPESHWARI SONOWAL**. That both names **RUPA SONOWAL** and **RUPESHWARI SONOWAL** pertain to one and the same person. Now I should be known and identified by the name **RUPESHWARI SONOWAL** only.

CHANGE OF NAME

I, **ANNU** spouse of No. 14862374W Rank-SEP/MT, Name- Pardeep Kumar R/o Vill.- Mandoli, PO- Kaliyana, Teh.- Charkhi Dadri, Dist.- Charkhi Dadri (Haryana)- 127306 have changed my name from **ASHMA** to **ANNU**. Vide Affidavit CC 805565 and dated 16.03.2026

WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED

(formerly Unimoni Financial Services Limited)
RO: N.G. 12 & 13 Ground Floor, North Block, Manipal Centre,
Dickenson Road, Bangalore - 560 042. CIN No. U85110KA1995PLC018175

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted by WIZZMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED (formerly Unimoni Financial Services Limited) on **23.03.2026** at 10:00 am at the respective centers given below. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Auction Centre Address & Loan Nos: SIKAR (SIK - NO.2, FIRST FLOOR, PAWANMARKET, OPP SANSKRIT COLLEGE STATION ROAD, Contact: 9829270318) 2227570, 2233703.

(Reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice)

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar SIK-PH-043/ Date: 05.03.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय: मैसर्स टपकेस्वर माईन्स एण्ड मिनेरल्स, एम एल नम्बर 14/2021 (रफ़रेन्स नम्बर 2021000047324), खसरा नम्बर 630, 631 632 633, 634, 635, 636 एवं 637, निफ्ट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खान परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स टपकेस्वर माईन्स एण्ड मिनेरल्स द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जैके माईनिंग कलक्टर क्षेत्र 11.1365 हेक्टेयर, एम एल नम्बर 14/2021 (रफ़रेन्स नम्बर 2021000047324), खसरा नम्बर 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 एवं 637, निफ्ट ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स टपकेस्वर माईन्स एण्ड मिनेरल्स ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना को लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एम. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एम.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सखित अभिलेख (कार्यालय सारंग) एवं सखित कार्यालयिक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-

- जिला कलेक्टर, सीकर।
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरमभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
- महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
- उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
- ग्राम पंचायत, टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमार संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एएमएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 05.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एनडू द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 21.04.2026 (मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम टोडा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पॉलिट निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु।

हस्ता./-
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

PUBLIC NOTICE

(Under Section 102 (1) & (2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF MR. ISLAMUDDIN KAGZI DEBTOR / PERSONAL GUARANTOR TO CORPORATE DEBTOR, SANGA BUILDERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of Debtor/Personal Guarantor	Mr. Islamuddin Kagzi
2. Address of the Debtor/Personal Guarantor	79, Kagzi Mohalla, Sanganer, Jaipur, Rajasthan- 302029
3. Details of order and Insolvency commencement date in respect of Debtors/ Personal Guarantors to Corporate Debtor	RCP (IB) No. 4/95/JPR/2025, order dated 17.03.2026 Insolvency Commencement Date - 17.03.2026
4. Name and registration number of the Insolvency Professional acting as Resolution Professional	Rishabh Chand Lodha Regn No.: IBBI/PA-001/IP-P01075/2017-2018/11766 AFA Valid Upto : 31.12.2026
5. Address and e-mail of the Resolution Professional, as registered with the Board	E-5, Basant Vihar, Bhilwara, Rajasthan- 311001 Email : rishabhlodha57@gmail.com
6. Address and e-mail to be used for correspondence with the Resolution Professional	E-5, Basant Vihar, Bhilwara, Rajasthan- 311001 Email : pg.sangabuilders@gmail.com
7. Last date for submission of claims	08.04.2026
8. Relevant Forms in which claim to be filed available at :	"FORM B" Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Jaipur Bench, vide its order dated 17.03.2026 in RCP (IB) No. 4/95/JPR/2025, has ordered the commencement of an Insolvency Resolution Process of Mr. Islamuddin Kagzi, Debtor / Personal Guarantor to Corporate Debtor, namely Sanga Builders Private Limited.

The creditors of Mr. Islamuddin Kagzi, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 08.04.2026 to the Resolution Professional at the address mentioned against entry No. 6.

The creditors shall submit their claims with proof by electronic means or with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Rishabh Chand Lodha
Regn. No. IBBI/PA-001/IP-P01075/2017-2018/11766
Resolution Professional of Mr. Islamuddin Kagzi,
PG to CD, Sanga Builders Private Limited

Date : 19.03.2026
Place : Bhilwara

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla (East), Mumbai- 400051

Corporate Office: ICICI HFC Tower, JB Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai
Branch Office: 1st Floor, Shop No. 91-92, New Cloth Market, Sri Ganganagar, Rajasthan

Whereas

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the note date of receipt of the said notice.

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the be borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Loan Account Number	Description of property/ Date of Possession
1.	Saruk. (Borrower), Sona. (Co-Borrower), Ward No. 22 Bihani Marg 1 Nhr A, Nohar Hanumangarh Nohar Hanumangarh Nohar Nohar Rajasthan- 335523. LHGAN00001547275.	Owner Saruk Ward No. 22 Tegor Chowk Road Na Nohar Rajasthan- 335523. Bounded By- North: 16 Ft 6 Inch Om Prakash, South: 15 Ft 9 Inch Rem. Part of Plot, East: 6 Ft 3 Inch Rem. Part of Plot, West: 8 Ft 6 Inch Road./ Date of Possession- 16-Mar-26

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to mortgagee properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: March 19, 2026

Place: Nohar

ICICI Home

Regional Office
Rajasthan State Pollution Control Board
Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001
Phone: 01572-248009; e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

RPCB/RO Sikar SIK-PH-042/ Date: 03.2026

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आम सूचना

विषय: मैसर्स भारत माइन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, एम एल नम्बर 06/2024 (रफ़रेन्स नम्बर 202410000109412), खसरा नम्बर 1110/166, 168, 169, 170 एवं 172, निफ्ट ग्राम निमोद, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में प्रस्तावित चेजा पत्थर की खान परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

4. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स भारत माइन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित माईनिंग परियोजना जिसमें चेजा पत्थर जैके माईनिंग कलक्टर क्षेत्र 13.48265 हेक्टेयर, एम एल नम्बर 06/2024 (रफ़रेन्स नम्बर 202410000109412), खसरा नम्बर 1110/166, 1111/166, 168, 169, 170 एवं 172, निफ्ट ग्राम निमोद, तहसील - नीमकाथाना एवं जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

5. और चूंकि मैसर्स भारत माइन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना को लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एम. ओ. 1533 दिनांक 14.09. 2006 और एम.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसार में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

6. उक्त परियोजना से सम्बन्धित सखित अभिलेख (कार्यालय सारंग) एवं सखित कार्यालयिक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

- जिला कलेक्टर, सीकर।
- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना जिला सीकर।
- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरमभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
- महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीकर।
- उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना, जिला सीकर।
- ग्राम पंचायत, खारदा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम खारदा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर।
- निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमार संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एएमएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
- क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 925 दिनांक 06.03.2026 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एनडू द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 (शुक्रवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम खारदा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बन्धित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पॉलिट निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु।

हस्ता./-
क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सीकर

CAPRI GLOBAL

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg,

